भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये
रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES
Rs.1000

INDIA

बिहार BIHAR

S 128149

Serial No. 8178

Deed No. 8018

Govt. of Bihar
Sub Registry Office, Danapur
Summary of Endorsement

This document was presented for registration on 29/07/2015 by Yogendra Kumar
A Stamp Duty of Rs. 265900/- and other Fees of Rs. 20600/- has been paid in it.
The document was found admissible. The Names, Photographs, Fingerprints and Signatures of the Executants and their Identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.
The document has been registered as Deed No. 8018 in Book No. 1, Volume No. 160 on pages from 469 to 489 and has been preserved in total 21 pages in C.D. No. 25 / Year 2015

बिहार सरकार

Date: 29/07/2015

Token No: 8232 /2015

Signature with Date
(Dhananjay Kumar Rai)
Registering Officer, Danapur



एकरारनामा वास्ते विकास कार्य (डीड ऑफ डेवलपमेंट एग्रीमेन्ट)

आज दिनांक 29.07.2015 को यह एकरारनामा भूमि के विकास कार्य हेतु निम्नांकित पक्षों के बीच किया जाता है ।

Metro Sky Construction Pvt. Ltd.

Director

Scanned by CamScanner

अंक मो0 ——— शब्दों में (रु0 ———) मात्र

प्रथम प्रति
(जमाकर्त्ता हेतु)

(1)

बिहार सरकार
निबंधन विभाग

गैर मानक

दस्तावेजों के निबंधन के लिए जमा किये जाने वाले स्टाम्प शुल्क/ निबंधन शुल्क एवं भूस्वामी के निबंध शुल्क के भुगतान के लिए बैंक चालान

1. पक्षकार का नाम/ पता (जिसकी ओर से जमा किया जा रहा है) मेट्रो स्काई कंस्ट्रक्शन प्रा लि मैनेजिंग प्रोजेक्ट्स की ओर से मेसर्स मेट्रो डेवलपमेंट एंड रियल्टी प्रा लि के अधिकृत प्रतिनिधि श्री राजेश कुमार गुप्ता पिता स्व लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता
2. दस्तावेज का प्रकार इकरारनामा
3. निबंधन कार्यालय दानापुर
4. बैंक का नाम एवं शाखा S.B.I. दानापुर
5. भुगतान की जानेवाली राशि का विवरण :

भुगतान का मद एवं शीर्ष	रकम	कुल रकम
स्टाम्प शुल्क-मुख्य शीर्ष-0030-स्टाम्प एवं पंजीकरण-उप-मुख्य शीर्ष 02-स्टाम्प गैर न्यायिक लघु शीर्ष -103- दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क लगाना उप शीर्ष 0001 सकल प्राप्तियाँ प्राथमिक इकाई- 75 49 सकल प्राप्तियाँ विपत्र कोड-R0030021030001, A/c No.- 10963226587	2,64900	2,64900
निबंधन शुल्क-मुख्य शीर्ष-0030-स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क उप मुख्य शीर्ष -03 पंजीकरण शुल्क, लघु शीर्ष-104-दस्तावेजों का पंजीकरण शुल्क-उप शीर्ष-0001, प्राथमिक इकाई 75 49 सकल प्राप्तियाँ विपत्र कोड - R0030031040001, A/c No.- 10963226576 .	20,000	20000
भूस्वामी शुल्क-मुख्य शीर्ष-0029-भू राजस्व लघु शीर्ष-800-अन्य प्राप्तियाँ-उप शीर्ष -0006- अन्य मदें - प्राथमिक इकाई- 75 49 भूमि निबंधन शुल्क से आय विपत्र कोड - R0029008000006, A/c No.- 10963226598	—	—

भुगतान का माध्यम : नगद/ चेक/ ड्राफ्ट कुल योग 284900

कुल राशि शब्दों में दो लाख चौरासी हजार नौ सौ

स्थान दानापुर

तारीख 29/07/2015

* चेक/ड्राफ्ट का विवरण पीठ पर अंकित कर दें।
* चेक/ड्राफ्ट की राशि अन्तरित होने के पश्चात ही मान्य होगी

284900
600
285500

जमाकर्त्ता का नाम एवं हस्ताक्षर

FOR USE OF THE BANK

स्क्रॉल नं0 ——— तारीख ——— उपर्युक्त कालम संख्या 03 में दिये गए विवरण के अनुसार रु0 ——— रूपये प्राप्त किया

SBI, DANAPUR Br.-01254
RECEIVED
PAID
RAJ KUMAR
ID No.-5998492

प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

निबंधन हेतु प्रविष्टि करने का विवरण

को लेखा सं0 : A/c No. 30[illegible]193

J.No.

दस्तावेज को पृष्ठ सं0 ——— तारीख 29-7-2015

Metro Sky Construction Pvt. Ltd.

Scanned by CamScanner

1. नाम-भूस्वामी (लेख्यकारीगण) :-

(1) श्री योगन्द्र कुमार पिता का नाम स्व0 ब्रहमेश्वर प्रसाद,

(2) श्रीमती नीता वर्मा धर्मपत्नी श्री योगन्द्र कुमार

दोनों का निवास स्थान-मन्दराज विघा, डेल्हा, थाना वो पत्रालय डेल्हा, जिला-गया।

(3) श्रीमती सुधा सिन्हा धर्मपत्नी स्व0 नागेन्द्र कुमार निवास स्थान-संगीता श्शावतम एपार्टमेंट, निकट श्यामल हॉस्पीटल,, मौर्य पथ, खाजपुरा, पटना-14

(4) श्री राकेश शंकर } पिता श्री उमा शंकर वर्मा

(5) श्री ब्रजेश शंकर }

निवास स्थान-अभियंता नगर, बेली रोड, पत्रालय-दानापुर कैन्ट, थाना- दानापुर , हाल थाना-रूपसपुर, जिला-पटना

(6) डॉ ओम प्रकाश पिता का नाम स्व0 विशेश्वर ठाकुर

(7) श्रीमती कान्ता कुमारी धर्मपत्नी श्री डॉ0 ओम प्रकाश दोनों का निवास स्थान-भलुआही, खुरखुरा डेल्हा, जिला-गया वर्तमान निवास स्थान-फर्मास्यूटिकल्स कॉलोनी, कंकड़बाग, पत्रालय वो थाना-कंकड़बाग, जिला-पटना, सभी भारतीय नागरिक जिन्हें इसके आगे जमीन मालिक/ प्रथम पक्ष के नाम से सम्बोधित किया गया है, जिनका सम्पूर्ण भोगाधिकार, सुखाधिकार, बारिशधिकार एंव स्वामित्व जमीन में निहित है जिनका इस एकरारनामा में हस्ताक्षरी, निष्पादक, प्रशासक एवं उनके वारिशानों तथा उत्तराधिकारियों का हित भी शामिल है एवं जिनका सम्बन्ध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रथम पक्ष से सम्बन्धित है वह सभी शामिल है तथा इस एकरारनामा में प्रथम पक्ष है ।

Metro Sky Construction Pvt. Ltd
Naresh Mehta
29/7/15
Director

सही योगेन्द्र कुमार
29/7/15

नीता वर्मा

2. **बिल्डर डेभलपर (लेख्यधारी) :-**

मेट्रो स्काई कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड (Metro Sky Construction Pvt. Ltd.) एक कम्पनी निर्मित अन्दर कम्पनी एक्ट 1956 कॉरपोरेट पहचान संख्या U45201BR012PTC018927 कम्पनी रजिस्ट्रार पटना निबंधित कार्यालय Metro Sky Construction (P) Ltd. 209, Lav-Kush Tower, Exhibition Road, Patna-800001 इस कम्पनी का मैनेजिंग डायरेक्टर श्री नरेश महतो पिता का नाम श्री राजेन्द्र महतो जिन्हें इस एकरारनामा में विकासकर्त्ता / डेवलपर / द्वितीय पक्ष कहा गया है । यहाँ विकासकर्त्ता से अभिप्राय है कि इनके द्वारा कोई भी प्राधिकृत व्यक्ति, चयनित व्यक्ति एजेंट निष्पादक, प्रशासक उनके वारिशान एवं इनके उत्तराधिकारी एवं जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में द्वितीय पक्ष से संबंधित है वह सभी शामिल हैं।

3. **किसीम वसीका (लेख्य प्रकार) :-**

विकास कार्य एकरारनामा वसीका ।

(Deed of Development Agreement)

4. **जमीन का मूल्य :-**

मो0 1,32,41,000/- (एक करोड़ बतीस लाख एकतालीस हजार) रूपया ।

5. **सम्पति का सम्पूर्ण विवरण :-**

यह कि प्रथम पक्ष भू-स्वामी एवं जमीन मालिक है तथा विकास कार्य हेतु जो जमीन द्वितीय पक्ष विकासकर्त्ता को दिए हैं उसका पूर्ण विवरण इस प्रकार है ।

Metro Sky Construction Pvt. Ltd.
Naresh M
29/7/15

सही योगेन्द्र कुमार
29/7/2015
सही तंत्र कर्ता
29.7.15

सही सुधा सिन्हा डेवलपमेंट एग्रीमेंट लिखा गया
सही है। कागज स्वयं पढ़कर समझ लिया।
29.7.2015

Scanned by CamScanner

तमाम मवाजी 8000 वर्गफीट (आठ हजार वर्गफीट) यानि 18.3688 डीसमील जमीन परती भूमि वाके मौजा-जलालपुर, (अर्पणा कॉलोनी के नजदीक) परगना- फुलवारी, थाना एवं सब रजिस्ट्री दानापुर सदर रजिस्ट्री एवं जिला पटना वाके है जिसका तौजी नं0-5170, थाना नं0-22 (बाईस), खाता नं0-5 (पाँच), सर्वे खसरा नं0-214 (दो सौ चौदह), भूमि का वार्षिक लगान मो0 10.00/- अलावे शेष बजमीन्दारी बिहार सरकार द्वारा अंचलाधिकारी दानापुर पटना वाके है जमाबंदी संख्या-1218, 2661, 1219 एवं 2794 है।

जिसकी चौहद्दी इस प्रकार है-

चौहद्दी

उत्तर-	अर्जुन सिंह ।
दक्षिण-	20 फीट रोड ।
पूरब-	सकलदीप सिंह एवं जलालपुर सिटी
पश्चिम-	लक्ष्मी नारायण कर्ण

नोट:-

लेख्यकारी नं0 1 श्री योगन्द्र कुमार एवं लेख्यकारी नं0 2 श्रीमती नीता वर्मा मवाजी 2000 वर्गफीट जमीन का मालिक हैं एवं इनका जमाबंदी संख्या-1218 है ।

लेख्यकारी नं0 3 श्रीमती सुधा सिन्हा मवाजी 2000 वर्गफीट जमीन का मालिक हैं एवं इनका जमाबंदी संख्या-2661 है ।

लेख्यकारी नं0 4 श्री राकेश शंकर लेख्यकारी नं0 5 श्री ब्रजेश शंकर (दोनों को मिलाकर यानि 4-5 को मिलाकर) मवाजी 2000 वर्गफीट जमीन का मालिक हैं एवं इनका जमाबंदी संख्या- 1219 है ।

Metro Sky Construction Pvt. Ltd.

Scanned by CamScanner

लेख्यकारी नं0 6 डॉ ओम प्रकाश एवं लेख्यकारी नं0 7 श्रीमती कान्ता कुमारी दोनों को मिलाकर मवाजी 2000 वर्गफीट जमीन का मालिक हैं एवं इनका जमाबंदी संख्या-2794 है ।

संदर्भ

हकियत यह है कि खाना संख्या 5 में वर्णित सम्पति लेख्यकारीगण की बैय खरीदगी सम्पती है जिसे लेख्यकारी नं0 1 योगेन्द्र कुमार एवं 2 नीता वर्मा ने मवाजी 2000 वर्गफीट जमीन को नविस्ते श्री वरूण कुमार चौधरी पिता का नाम श्री एस0 के चौधरी निवास स्थान-फेमर्स आर्ट पीरमुहानी थाना गाँधी मैदान जिला पटना से दिनांक 23.08.1999 ई0 को निर्बंधित बैय वशिका द्वारा खरीद किया है जिसका बुक नं0-1, जिल्द नं0-51, पेज नं0-23 से 38, निर्बंधित वशिका नं0-3953 सन 1999 ई0 निबंधन कार्यालय दानापुर जिला पटना वाके है ।

लेख्यकारी नं0 3 श्रीमती सुधा सिन्हा के पति नागेन्द्र कुमार ने भी मवाजी 2000 वर्गफीट जमीन को नविस्ते श्री वरूण कुमार चौधरी पिता का नाम श्री एस0 के चौधरी निवास स्थान-फेमर्स आर्ट पीरमुहानी थाना गाँधी मैदान जिला पटना से दिनांक 23.08.1999 ई0 को निर्बंधित बैय वशिका द्वारा खरीद किया है जिसका बुक नं0-1, जिल्द नं0-51, पेज नं0-39 से 54, निर्बंधित वशिका नं0-3954 सन 1999 ई0 निबंधन कार्यालय दानापुर जिला पटना वाके है एवं बैय खरीदगी के बाद नागेन्द्र कुमार अपने धर्मपत्नी श्रीमती सुधा सिन्हा को छोड़कर स्वर्गवास कर गये अपने पति के स्वर्गवास के उपरांत श्रीमती सुधा सिन्हा मालिक वो अधिकारी हुई ।

लेख्यकारी नं0 4 श्री राकेश शंकर एवं लेख्यकारी नं0 5 श्री ब्रजेश शंकर (दोनों ने मिलकर) मवाजी 2000 वर्गफीट जमीन को नविस्ते श्री वरूण कुमार चौधरी पिता का नाम श्री एस0 के चौधरी निवास स्थान-फेमर्स आर्ट पीरमुहानी थाना गाँधी मैदान जिला पटना से दिनांक [illegible]

Metro Sky Construction Pvt.
Metro Sky Cons
Scanned by CamScanner

बुक नं0-1, जिल्द नं0-51, पेज नं0-71 से 76, निबंधित वशिका नं0-3956 सन 1999 ई0 निबंधन कार्यालय दानापुर जिला पटना वाके है।

लेख्यकारी नं0 6 डॉ ओम प्रकाश एवं लेख्यकारी नं0 7 श्रीमती कान्ता कुमारी दोनों ने मिलकर मवाजी 2000 वर्गफीट जमीन को नविस्ते श्री वरूण कुमार चौधरी पिता का नाम श्री एस0 के चौधरी निवास स्थान-फेमर्स आर्ट पीरमुहानी थाना गाँधी मैदान जिला पटना से दिनांक 23.08.1999 ई0 को निबंधित बैय वशिका द्वारा खरीद किया है जिसका बुक नं0-1, जिल्द नं0-51, पेज नं0-55 से 70, निबंधित वशिका नं0-3955 सन 1999 ई0 निबंधन कार्यालय दानापुर जिला पटना वाके है।

इस प्रकार बैय खरीदगी के दिन लेख्यकारीगण खाना संख्या 5 में वर्णित सम्पति को खास अपने कब्जा दखल, हक वो अधिकार में रखकर वो रहकर हर प्रकार से मालिक वो अधिकारी होकर खाना नं0 5 में वर्णित सम्पति को हर प्रकार से उपयोग एवं उपभोग करते हुए चले आ रहे हैं वो हैं खाना नं0 5 में वर्णित सम्पति हर प्रकार के झगड़ा-झंझट, केस-मुकदमा से मुक्त सम्पति है एवं पाक साफ वो ऋण मुक्त सम्पति है वो सम्पति को अपने खास कब्जा दखल हक अधिकार में रखकर शान्ति पूर्वक चले आ रहे हैं।

यह कि भू-स्वामी के आंतरिक इच्छा से सौहार्दपूर्ण वातावरण में उपर वर्णित जमीन का रचनात्मक विकास एवं बहुमंजिला इमारत आधुनिक तकनीक से परिपूर्ण फ्लैटों का निर्माण करवाने हेतु द्वितीय पक्ष विकासकर्त्ता के साथ परती जमीन पर इमारत निर्माण विकास कार्य एकरारनामा का निष्पादन आपसी सहमती एवं निम्नांकित शर्तो पर बिना किसी दबाव, धमकाव एवं बहकाव के पूर्ण स्वस्थ्य मस्तिष्क से भूत, वर्तमान एवं भविष्य के तमाम हानि लाभ एवं प्रभावों को सोच विचार कर कानूनी सलाहकारों से विचार विमर्श कर द्वितीय पक्ष के साथ विकास एकरारनामा का निष्पादन किया है।

विकास कार्य हेतु एकरारनामा की शर्तें निम्नलिखित है

Scanned by CamScanner

1. यह कि उपर्युक्त भू-खण्ड पर बहुमंजिला इमारत एवं आधुनिक फ्लैटों का निर्माण कार्य में जो भी खर्च होगा उस खर्च को विकासकर्त्ता वहन करेंगे ।

2. यह कि उपरोक्त भू-खण्ड पर निर्मित बहुमंजिला इमारत का नामकरण, 'शान्ति इन्कलेव' दोनों पक्षों के सहमति से तय हुआ है ।

3. यह कि विकासकर्त्ता भूखण्ड स्वामी के सहमति से अविलम्ब नक्शा बनायेंगे तथा नक्शा बनाने का कार्य विकासकर्त्ता स्वयं करेंगे ।

4. यह कि विकासकर्त्ता नक्शा निर्माण के पश्चात प्रथम पक्ष की सहमति उपरांत अविलम्ब पटना नगर निगम/ नगर परिषद दानापुर या अन्य सरकारी या अर्द्ध सरकारी संस्था एवं अन्य सरकारी प्राधिकरण /विभाग से उसके नियमानुसार अनुज्ञप्ति प्राप्त करेंगे तथा इसमें जो भी खर्च होगा उसका वहन विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष करेंगे ।

5. यह कि जमीन मालिक यह विश्वास दिलाया कि जमीन हर प्रकार से पाक-साफ एवं स्वत्व दोष तथा ऋण भार से मुक्त है। यदि भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई स्वत्व दोष या ऋण भार पाया जायेगा तो उसकी जिम्मेवारी जमीन मालिक पर होगी और उसके चलते होने वाले हर्जा-खर्चा तथा क्षति-पूर्ति भुगतान करने का दायित्व जमीन मालिक को रहेगा।

6. यह कि विकासकर्त्ता पटना नगर निगम/ नगर परिषद दानापुर एवं अन्य प्राधिकृत संगठन से नक्शा स्वीकृति होने के दिन से चार वर्ष एवं छः महीना के अंदर सम्पूर्ण निर्माण कार्य पूरा करेंगे इसके अतिरिक्त मात्र छः महीने का समय ग्रेस के रूप में दिया जायेगा।

7. यह कि विकासकर्त्ता निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व स्वंय के खर्च से भू-खण्ड पर बिजली एवं पानी की व्यवस्था करेंगे तथा

Metro Sky Construction Pvt. Ltd.

Scanned by CamScanner

शुल्क की अदायगी करेंगे तथा उससे संबंधित अन्य खर्चों का वहन करेंगे तथा भूखण्ड स्वामी प्रथम पक्ष केवल जमीन से संबंधित शुल्क मालगुजारी होल्डिंग अदा करेंगे ।

8. यह कि विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष नक्शा के तहत निर्माण कार्य पूरा करने के पश्चात कुल निर्मित क्षेत्र का भूखण्ड स्वामी लेख्यकारीगण (1) श्री योगन्द्र कुमार (2) श्रीमती नीता वर्मा (3) श्रीमती सुधा सिन्हा (4) श्री राकेश शंकर (5) श्री ब्रजेश शंकर (6) डॉ ओम प्रकाश (7) श्रीमती कान्ता कुमारी सभी को मिलकार (सुंयक्त रूप) में प्रथम पक्ष का 50 (पचास प्रतिशत) को पूर्णरूपेण विकसित करके सौंपेंगे तथा शेष हिस्सा द्वितीय पक्ष विकासकर्त्ता का होगा 50 (पचास प्रतिशत) होगा ।

फ्लैटों का बंटवारा:-

9. जमीन मालिक का हिस्सा-

इस प्रकार है:-

प्रथम तल्ला 101, 104, 105, 106

तृतीय तल्ला 301, 303, 304, 305, 306

चतुर्थ तल्ला 401, 405, 406

पार्किंग का 50% (पचास प्रतिशत)

10. विकासक/ विकासकर्त्ता का हिस्सा-

इस प्रकार है:-

प्रथम तल्ला 102, 103

द्वितीय तल्ला 201, 202, 203, 204, 205, 206

तृतीय तल्ला 302

चतुर्थ तल्ला 404, 402, 403

Scanned by CamScanner

पार्किंग का 50% (पचास प्रतिशत)

11. द्वितीय पक्ष का अपने हिस्से का फ्लैट तथा पार्किंग क्षेत्र की बिक्री एवं एकरारनामा आदि करने हेतु अलग से मुख्तारनामा (पावर ऑफ एटर्नी) का निष्पादन प्रथम पक्ष को करने की आवश्यकता नहीं होगी यानि द्वितीय पक्ष विकासक अपने हिस्से के 50% सम्पति खुद अपने हस्ताक्षर से विक्रय पत्र या विक्रय एकरारनामा पत्र को निष्पादन करने का हक वो अधिकार इस वसिका द्वारा प्राप्त है, लेकिन द्वितीय पक्ष के हिस्से के प्रत्येक फ्लैट की बिक्रय-पत्र एवं विक्रय एकरारनामा पत्र में दो भू-स्वामी (1) राकेश शंकर पिता उमा शंकर वर्मा निवासी-अभियंता नगर, बेली रोड, पटना एवं (2) डॉ0 ओम प्रकाश, पिता विशेश्वर ठाकुर, निवासी-भलुआही खरखुरा, जिला-गया गवाह के रूप में अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करेंगे।

12. यह कि निर्माण कार्य में लागत पूंजी की उगाही हेतु द्वितीय पक्ष किसी भी बैक अथवा वित्तीय संस्थान से ऋण लेने के लिए प्रथम पक्ष की ओर से प्राधिकृत हैं तथा प्रथम एवं उनके वारिसन का कोई उज्र वो एतराज नहीं है बशर्ते ऐसे सभी प्रकार के ऋण को चुकता में असफल होने पर वित्तीय संस्थान केवल विकासकर्त्ता के पूर्ण निर्मित हिस्सा से कानूनी प्रक्रिया के तहत ऋण वसूली कर सकेंगे ।

13. यह कि निर्माण कार्य के दौरान द्वितीय पक्ष विकासकर्त्ता केवल अपने हिस्से के अर्द्धनिर्मित अथवा निर्मित क्षेत्र का अग्रिम बुकिंग कार्य कर सकते हैं तथा संबंधित अभिलेखों का निष्पादन करेंगे । किसी भी हालत में भूखण्ड स्वामी के हिस्से का बुकिंग नहीं करेंगे ।

14. यह कि निर्माण कार्य पूर्णतः स्वीकृत नक्शा के अनुरूप होगा तत्पश्चात भी अगर सरकारी नीतियों के कारण मुकदमा के कारण या न्यायालय के आदेश के तहत निर्माण कार्य रूक जाये तब ऐसी हालत में विक्रयकर्त्ता का कोई दोष नहीं होगा। या

Metro Sky Construction P. t. Ltd.

Scanned by CamScanner

परिस्थिति में विकासकर्त्ता द्वारा कार्य करने की अवधि जितने दिन कार्य बंद होगा उतना दिन के लिए बढ़ा दिया जाएगा। इसके लिए कोई क्षतिपूर्ति अलग से देय नहीं होगा।

15. यह कि विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष एकरारनामा की समयावधि के अंदर या तक प्रथम पक्ष भूखण्ड स्वामी के आवंटित हिस्से का सम्पूर्ण निर्माण कर सौंप देंगे तथा अपने हिस्से के निर्माण में द्वितीय पक्ष को अगर देरी भी होगी तो उसमें प्रथम पक्ष का कोई एतराज नहीं होगा।

16. यह कि अगर भविष्य में स्वीकृत नक्शा के अतिरिक्त उपरी निर्माण करने के स्वीकृत संबंधित विभाग प्राधिकरण से मिलती है तब उसमें भी दोनों पक्षों का हिस्सेदारी इस एकरारनामा के तहत होगी तथा उक्त निमार्ण के सम्पूर्ण खर्चो का वहन द्वितीय पक्ष ही करेंगे ।

17. यह कि उक्त सम्पति की रक्षा के लिए आवश्यकतानुसार लेख्यकारी तथा उनके उत्तराधिकारी एवं लेख्यधारी तथा उनके उत्तराधिकारी अधिकृत बीमा संस्थाओं के साथ बीमा करा सकते हैं लेकिन उसका सम्पूर्ण खर्च लेख्यधारी तथा उनके उत्तराधिकारी करेंगे ।

18 यह कि जमीन मालिक ने स्वीकार किया है कि यदि डेवलपर उक्त परियोजना से सटे या उसके आस-पास की जमीन पर कोई दुसरी परियोजना का विस्तार करें तो उन्हें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगा ।

19. यह कि जमीन मालिक को उक्त जमीन से संबंधित इसके अधिग्रहण या अधिसूचना के लिए कोई नोटिस या अधिसूचना प्राप्त नहीं हुई है और उन्हें इसका Development करने या कराने के लिए अधिकार है ।

20. यह कि जमीन मालिक के अलावे उक्त जमीन पर और किसी का कोई अधिकार हिस्सा या हक नहीं है और जमीन मालिक किसी बेनामी जमीन मालिक के बेनामीदार नहीं हैं ।

Metro Sky Construction

Scanned by CamScanner

21. यह कि भूस्वामी प्रथम पक्ष अपने हिस्से शेयर सेल्ड ऑनर्स एरिया का बिक्री या दान अथवा आवंटन या किसी प्रकार हस्तांतरण करने के लिए किसी के साथ एग्रीमेन्ट करने के पूर्ण अधिकारी या किसी प्रकार हस्तांतरण करने के लिए किसी के साथ एग्रीमेंट करने के पूर्ण अधिकारी हैं और जब कभी इस तरह का एग्रीमेंट को सार्थक बनाने के लिए बिल्डर डेवलपर को कुछ करना पड़े अथवा लिखना पड़े तो भू-स्वामी के हित में करेंगे ताकि भू-स्वामी का हित की रक्षा हो सके।

22. यह कि इसी प्रकार बिल्डर को पूरा अधिकार होगा कि उक्त निर्मित बिल्डिंग एपार्टमेन्ट के फ्लैट अथवा पार्किंग स्पेस आदि अपने हिस्से के शेयर–'डेवलपर्स–एरिया' को बिक्री करने के लिए या विक्रय एकरारनामा या अन्य प्रकार का वशिका का निष्पादन विकासक खुद अपने हस्ताक्षर से निष्पादन करेंगे, लेकिन बिल्डर के प्रत्येक फ्लैट की बिक्रय–पत्र एवं विक्रय एकरारनामा पत्र में दो भू–स्वामी (1) राकेश शंकर पिता उमा शंकर वर्मा निवासी–अभियंता नगर, बेली रोड, पटना एवं (2) डॉ0 ओम प्रकाश, पिता विशेश्वर ठाकुर, निवासी–भलुआही खरखुरा, जिला–गया गवाह के रूप अनिवार्य रूप में हस्ताक्षर करेंगे।

किसी के साथ भी विक्रय एग्रीमेन्ट या विक्रय पत्र के और जब भी इस तरह का एग्रीमेन्ट या वसिका को सार्थक बनाने के लिए भू–स्वामी को कुछ करना या लिखना पड़े तो बिल्डर के साथ मिलकर बिल्डर के हित में वैसा सब कुछ करेंगे या लिखेंगे ताकि बिल्डिंग निर्माण का कार्य या विक्रय पत्र या कोई वसिका पूरा हो सके।

23. यह कि निर्माण के समय किसी भी प्रकार का वाद–विवाद का निपटारा आपस में बैठकर करेंगे।

Scanned by CamScanner

24. यह कि निर्माण कार्य से संबंधित तमाम व्यक्ति कामगार या एजेंट की नियुक्ति का सम्पूर्ण अधिकार विकासकर्त्ता को होगा तथा प्रथम पक्ष इस कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे ।

25. यह कि निर्माण कार्य के दौरान विकासकर्त्ता द्वारा नियुक्ति व्यक्ति, कामगार, एजेंट अथवा व्यक्ति को भू-खण्ड पर आने-जाने के क्रम में प्रथम पक्ष बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे ।

26. यह कि योजना प्रारूप के अनुसार निर्माण कार्य के लिए सीमेंट, औजार, विद्युत कनेक्शन, लोहा अथवा अन्य निर्माण सामग्री से संबंधित कार्यो हेतु संबंधित एजेंसी, व्यक्ति अथवा पदाधिकारी के पास आवेदन आग्रह, समझौता विकासकर्त्ता ही करेंगे तथा प्रथम पक्ष को कोई उज्र एतराज नहीं होगा।

27. यह कि भूखण्ड से संबंधित मूल दस्तावेज प्रथम पक्ष के पास सुरक्षित रहेगा तथा द्वितीय पक्ष को कार्यालय उपयोग हेतु छायाप्रति दिया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार मूल दस्तावेज को प्रथम पक्ष अपनी उपस्थिति में कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

28. यह कि निर्माण कार्य हेतु किसी वसीका या अभिलेखों के निष्पादन में दोनों पक्ष आवश्यकतानुसार एक दुसरे को सहयोग करेंगे तथा निर्धारित हिस्से के मुताबिक किसी वसीका या अभिलेखों के निष्पादन में दोनों पक्ष एक दुसरे को गवाह के रूप में हस्ताक्षर करेंगे। यदि आवश्यकता हो तब।

29. यह कि इस एग्रीमेंट के तहत उभय पक्ष एक दुसरे का यह भी विश्वास दिलाते है कि प्रस्तावित योजना प्रारूप के अनुसार कुल सुपर निर्मित क्षेत्रों में प्रस्तावित सुविधाओं के साथ छत, बालकोनी, एमिनोटिज, फ्लैटों के उपयोग एवं उपभोग उनके क्रमशः आवंटित हिस्सों पर स्वंय अथवा उत्तराधिकारी अथवा प्रतिनिधि या खरीदार वगैरह अथवा सोसाईटी के लिए स्वतंत्र होंगे।

30. यह कि उभय पक्षों के बीच यह सहमति हुई कि निर्माण कार्य

For Metro Sky Construction Pvt. Ltd.

Metro Sky Construction Pvt

Scanned by CamScanner

आवंटित एवं गैर आवंटित सदस्यों का बनाया जायेगा तथा सभी सदस्य मिलकर अपार्टमेंट का रख-रखाव एवं देखभाल करने हेतु नियमावली तैयार करेंगे तथा तदनुरूप कार्य करेंगे ।

31. यह कि एकरारनामा से संबंधित किसी विवाद की स्थिति में दोनों पक्ष निष्पक्ष एवं स्वतंत्र पंच की नियुक्ति भारतीय मध्यस्था अधिनियम 1940 तथा संशोधित नियम के तहत किया जायेगा।

32. यह कि किसी प्रकार का दोनों पक्षों में विवाद का समाधान आरबिट्रेशन कन्सीलेशन एक्ट 1996 के प्रावधान के अनुसार किया जायेगा जिसका क्षेत्राधिकार पटना होगा।

33. यह कि इस एकरारनामा में निहित शर्तों के संबंध में और इसके अलावे बिहार एपार्टमेंट ऑनरशिप एक्ट 2006 (Bihar Apartment Ownership Act-2006) यथा स्थान मान्य होंगे।

भूखण्ड स्वामी प्रथम पक्ष तथा विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष उपरोक्त सभी बातों पर सहमत हैं तथा वादा करते हैं कि मिल जुलकर इस कार्य को पूरा करेंगे ।

गवाहों का हस्ताक्षर — सही योगेन्द्र कुमार 29/7/15 सही राकेश शंकर 29/07/15

भू-स्वामी का हस्ताक्षर

1. नीता वर्मा 29.7.15 — दाक्षेश शंकर 29/07/15

2. सुधा सिन्हा 29.7.2015 — Om Prakash 29.7.15

विकासकर्त्ता का हस्ताक्षर

परिशिष्ट:- Metro Sky Construction Pvt. Ltd. Naresh Mahto 29/7/2015 Director — सही कान्ता कुमारी 29.7.15

फाण्डेशन :- आर0 सी0 सी0 भूकम्परोधी डिजाईन के अनुसार।

Metro Sky Construction P

Scanned by CamScanner

2.	स्ट्रक्चर	:-	आर0 सी0 सी0 फ्रेम स्ट्रक्चर
3.	लिंटिल वर्क	:-	प्रथम श्रेणी का ईंट वर्क सीमेंट मोर्टार
4.	छत	:-	आर0 सी0 सी0
5.	फर्श	:-	मार्बल फ्लोरिंग टाईल्स या विट्रीफाइड टाइल्स
6.	प्लास्टर	:-	सीमेंट मोर्टार (1:5)
7.	दरवाजा	:-	सखुआ लकड़ी का चौखट 32 मिमि0 मोय टॉप फ्लाई फैनल फलस डोर प्राइमर सहित ।
8.	खिड़की	:-	लकड़ी का फ्रेम शीशा लगाकर या एलमुनियम खिड़की
9.	सिंडेवर	:-	ग्रेनाईट मार्बल का वर्किंग प्लेटफार्म, स्टील सिंक दीवार में 18 इंच सफेद, ग्लेज्ड टाइल्स । डाईनिंग रूम में वाश बेसिन।
	बाथरूम	:-	दीवार में 5 फीट ग्लेज्ड टाइल्स तथा सतह में विट्रीफाइड टाइल्स फ्लोरिंग साथ ही

For Metro Sky Construction Pvt. Ltd.
Director

Scanned by CamScanner

भूखंड स्वामी प्रथम पक्ष तथा विकासकर्त्ता द्वितीय पक्ष उपरोक्त सभी बातों पर सहमत है तथा वादा करते हैं कि मिल जुलकर इस कार्य को पूरा करेंगे ।

सही योगेन्द्र कुमार
29/07/15
नीता वर्मा
29.7.15

दिनांकः- 29.07.2015

गवाहों का हस्ताक्षर

संतोष कुमार
पिता- श्री विजय प्रसाद
ग्राम - महुअरी बगीचा
पो०- सराय
थाना - मनेर
जिला - पटना
29.7.15

भू स्वामी का हस्ताक्षर

सही सुधा सिन्हा
29/7/2015
सही राकेश शंकर
29/07/15
राजेश शंकर
29/07/15
Om Prakash
29.7.15
सही कान्ता कुमारी
29.7.15

ह राकेश कुमार
ता स० बालदेव राय
म अमनाबाद
ना बिहटा
ला पटना
29/7/2015

विकासकर्त्ता/डेवलपर का हस्ताक्षर

Metro Sky Construction Pvt. Ltd.
Naresh Mahto
29/7/2015
Director

...shallan checked

प्रास्पकर्ता
नृपेन्द्र ...
हस्ताक्षर

एन्ट्रावेज जाँचा

Metro Sky Construction Pvt. Ltd.

Scanned by CamScanner

...Act, or under Rule 5 : duly Stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. 135, Also admissible under section 20(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act Rs. 285900/-
Addl.Stamp duty paid under Municipal Act Rs. 0/-

Amt.Paid By N.J Stamp Paper Rs. 1000/-
Amt.paid through Bank Challan Rs. 285600/-

Registration Fee

FEE PAID	A1	0	C	0	N1b	0	K1a	0	LII	0
	A5	0	D	0	N2	0	K1b	0	LIII	0
	A9	0	DD	0	I	0	K1c	0	Nb	0
	A10	0	E	20000	J1	0	K2	0	Na	0
	B	0	H1a	0	J2	0	LI	0		
								TOTAL-		20000

LLR + Proc Fee		Service Charge
LLR	0	600
Proc.Fee	0	
Total	0	

Total amont paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. - 20600

Registering Officer
Danapur

ate: 29/07/2015

Endorsement under section 52

ented for registration at Registration Office, Danapur on Wednesday, 29th July 2015 by Yogendra Kumar S/O Late meshwar Prasad by profession Others. Status - Executant

Registering Officer
Danapur

गोपेन्द्र कुमार 29/7/2015
re/L.T.I. of Presentant

Date:29/07/2015

Endorsement under section 58

is admitted by those Executants and Identified by the person (Identified by 'Santosh Kumar' age '27' S/O Bigan Prasad', resident of 'Mahuari Bageecha, Maner, Patna'.), whose Names, Photographs, s and Signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

7/2015

Registering Officer
Danapur

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

egistration Office Danapur in Book 1 Volume No. 160 on pages on 469 -489 , for the year 2015 and ume No. CD-25 year 2015 .The document no. is printed on the Front Page of the document.

015

Registering Officer
Danapur

233 Year : 2015 S.No. : 8178 SCORE Ver.3.0 Deed No. : 8018

Metro Sky Construct

Scanned by CamScanner



1. नाम लेखयकारी : श्री बल्ण कुमार चौधरी पिता का नाम श्री शिव कुमार चौधरी निवास स्थान जानकी स्मृति पम्प लेन पीर-मुहानी थाना गांधी मैदान जिला पटना वहीं सथत मोख्तार श्री सुरेश चन्द्र दुबे पिता का नाम श्री ज्वाला प्रसाद दुबे निवास स्थान कामसे आटे थाना गांधी मैदान जिला पटना वजरिय मोख तारनामा आम दिनाक 5-3-99 इ० जिसका वहिका नं0-4-64 वर्ष 1999 इ० निबंधम कार्यालय पटना सदर पटना द्वारा शक्ति प्रदत्त है।

Metro Sky Construc

Scanned by CamScanner



2. नाम वेलयकारीगण : 1. डा० ओम प्रकाश पिता का नाम श्री विश्वेश्वर ठाकुर

2. श्रीमतीकान्ता कुमारी वाँने डा० ओम प्रकाश निवास स्थान ह्वीलगंज नई गोदाम थाना वो पत्रालय नई गोदाम जिला-पटना, हाल निवासी फर्मास्यूटिकल्स कोलोनी कंकड़बाग, पटना भारतीय नागरिक ।

3. वेलय प्रकार : निर्विवाद विक्रय-पत्र यानि क्वाला बयला कलागी ।

4. मूल्यांकन : मो० 1,05,000/- एक लाख, छः हजार रुपया मात्र ।

5. सम्पत्ति का सम्पूर्ण विवरण । : मवाजी (2000 वर्गफीट) दो हजार वर्गफीट, अवासिय एराजी कास्त हकियत रैयती कायमी नसदी वाके मौजा बलालपुर परगना फुलवारी, थाना वो सब रजिस्ट्री दानापुर, सदर रजिस्ट्री वो जिला पटना वो अन्दर विकास प्राधिकार क्षेत्र पटना वाके है। जिसकी तौजी संख्या-5170 (पाँच हजार एक सौ सत्तर) थाना संख्या-22 (बाइस) खाता संख्या-5 (पाँच) सर्वे खसरा प्लोट संख्या-214 (दो सौ चौदह), का पाटे भाग जिसकी सालाना लगान मो० 70 पैसा अलावे शेष वजमीन्दारी बिहार सरकार द्वारा



INDIA NON JUDICIAL

५000रु. R$5000

भारत

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

अंचलाधिकारी दानापुर, पटना ।

चौहदी	माप
उत्तर : अर्जुन सिंह ।	उत्तर : 32'-9"
दक्षिण : समिति रोड ।	दक्षिण : 32'-9"
पूरब : योगेन्द्र कुमार ।	पूरब : 61'-00"
पश्चिम : नागेन्द्र कुमार	पश्चिम : 61'-00"

यह कि उपरोक्त सम्पति को बिक्री हेतु लेख्यकारी ने शहरी भूमि हदबन्दी अधिनियम 1976 ई0 की धारा-26(1) के अन्तर्गत पटना के सब पदाधिकारी के यहा विहित प्रपत्र पर दिनांक 7-5-99 को सूचना दाखिल किया था जिसका क्रमांक संख्या- 3328 वर्ष 1999 ई0 है जिसकी अवधि साठ दिनों से अधिक हो गई है ।

"संदर्भ"

यह कि मूल लेख्यकारी अज मेम्बर अर्पणा सहकारी बृह निर्माण समिति लि0 पटना के है । समिति के सचिव श्री रामजी सिंह चौहान ने उक्त प्लॉट नं0-214

Metro Sky

Scanned by CamScanner

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

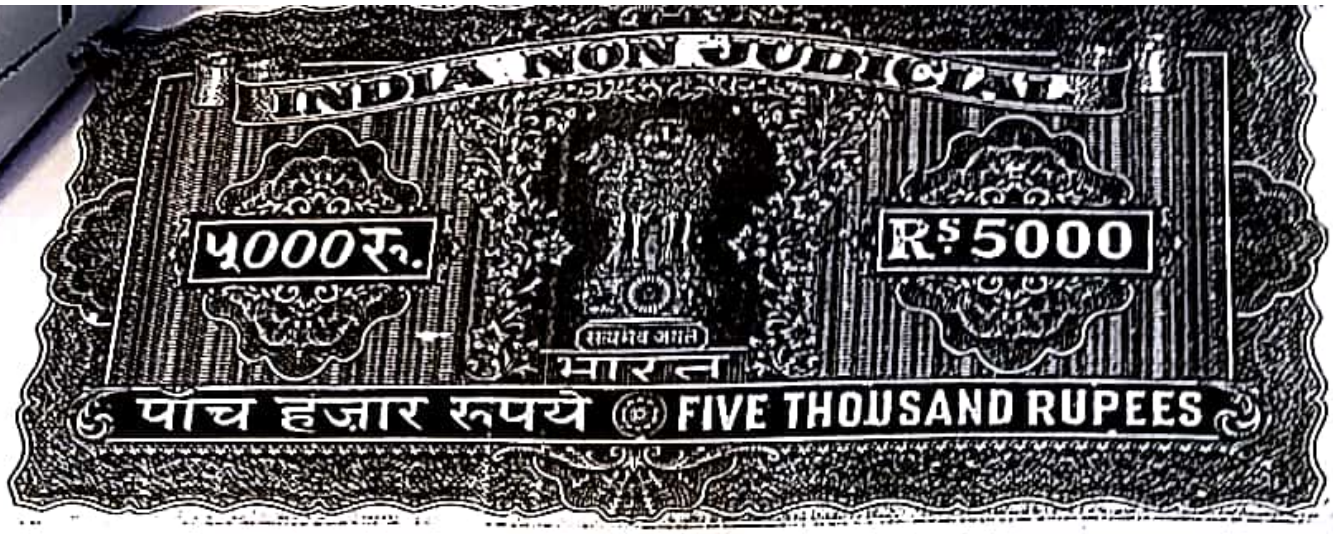

में मवाजी 4000 वर्गफीट मूल लेख्यकारी को आवंटन दिनांक 5-1-89 ई0 को किया था इसी संदर्भ में समिति के सचिव श्री रामजी सिंह चौहान ने आवंटन के पश्चात उक्त सम्पति को केवाला बयला कलामी मरकुमा तारीख 1-2-89 ई0 बनाम मूल लेख्यकारी को निष्पादित किया था जिसका बुक नं0-1 जिल्द नं0-44 पेज नं0- 325 से 330 वशिका नं0- 1363 वर्ष 1989 ई0 निबंधन कार्यालय पटना वाके है वो तारीख निष्पादित के दिन से लेकर आज तक मूल लेख्यकारी खाने न0-5 में वर्णित सम्पति पर वहैसियत सम्पति के मूल सर्वाधिकारी वो स्वामी हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर तथा सम्पति संबंधी व्यवस्था करके सम्पति के उत्पतित आय को अपने उपयोग वा उपभोग में लाते रहे हैवो है वो मूल लेख्यकारी का नाम वसिरिस्ता बिहार सरकार के जमाबन्दी रैयत संख्या-1218 वर्ष 1997-98 ई0 में दर्ज पायाग याहै। यह कि मूल लेख्यकारी ने जायदाद मजकुर को ख भाल एवं उचित प्रबंध करने हेतू लेख्यकारी को अपने मोख्तार द्वारा प्राधिकृत कियाहै।

मूललेख्यकारीगण को तत्काल बनाने मकान वो भी चन्द्र खर्चके लिए रुपयों अत्यन्त आवश्यकताहै जब तक लेख्यकारी ने खाने नं0-5 में वर्णित सम्पति की बिक्री

Metro Sky Constr...

Scanned by CamScanner

INDIA NON JUDICIAL

१०००रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

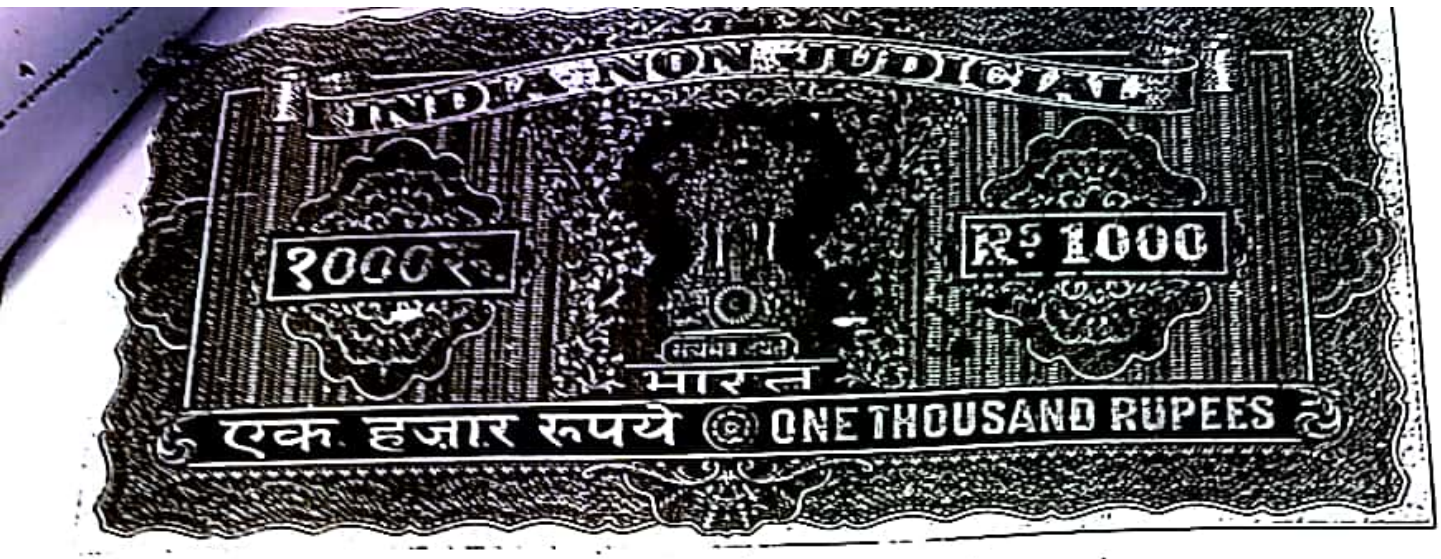

नही करते है तब तक रुपयों का शीघ्र प्रबंध कर ा मूल लेख्यकारीगणके वास्ते वर्तमान आय सेप्रायः मुश्किल है ।

अतएवं मूल लेख्यकारी ने लेख्यकारी के बहैसियत सम्पति के मूल सर्वाधिकारी वो स्वामी वो हकदार वोदखलकार होकर वा रहकर अपने तन मन की स्वस्थावस्था में अपने शुभ चिन्तकों एवं कानूनी सलाहकारों से परामर्श इत्यादि लेकर बिना किसी बाहरी दबाव वो डराव वो धमकाव के अपने समस्त ज्ञानेन्द्रियों के साथ खाने नं0-5 में वर्णित सम्पति को समयानुसार उचित तूल्य मूल्य मो0 1,06,000 एक लाख, छव हज़ार रुपया मात्र में लेख्यधारी खाने न0-2 के हाथ बेचा वो बैयला कलामी किया व लेख्य निष्पादन का सहर्ष स्वीकार किया ।

मूल्य के कुल रुपयोंको लेख्यकारी ने खरीदार पक्ष इस तौर से वसूल पाया कि - मो0 106000) एक लाख छव हजार रुपया बैंक ड्राफ्ट एवं चेक एवं नगद बनाने सही के पूर्व वसूल पा चुके है) [illegible]

Metro Sky Constructi

Scanned by CamScanner



1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs. 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

खाने न0-5 में वर्णित सम्पति में जितना भी हक वो दखल कब्जा आज तक मूल लेख्यकारी या उनके उत्तराधिकारी को प्राप्त था या भविष्य मेंप्राप्त होता रहता व वहसब कुल हक वो दखल कब्जा आज के दिन से मूल्य के कुल रुपयों के बदले हस्तांतरित होकर खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारीगण को प्राप्त हुआ वो भविष्य मेंप्राप्त होता रहेगा। खरीदार खाने न0-5 में वर्णित सम्पति पर वहैसियत सम्पति के मूल सर्वाधिकारी वो हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर जायदाद मजकुर को जिस प्रकार से चाहे अपने उपयोग वो उपभोग में लावे वो नाम अपनी बजाय मूल लेख्यकारी के बसिरिस्ता बिहार सरकार के जमीन्दारी विभाग में इसबिक्रय- पत्र के माध्यम से नामांकित करा लेवेंगे। उस वक्त लेख्यकारी एवं मूल लेख्यकारी का किसी प्रकार का कोई उजूर वो एतराज न है न कभी होगा वो यदि लेख्यकारी मूल लेख्यकारी या उनके उत्तराधिकारी किसी गलत बयान से किसी किस्म के दावा यउ उजूरदारी निस्बत एराजी मजकुर जरै सम्मन

Scanned by CamScanner



INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

मजकूर के करें तो, उनकी उजूरदारी या दावा वमोकावले वसीका बिक्रय- पत्र के रद्द वो गैर कानूनी होगा वो किसी भी अदालत में कानूनी कारवाई करने योग्य नहीं होगा ।

लेख्यकारी (बिक्रेता) ने लेख्यधारी (क्रेता) के साथ यह भी सत्यता प्रकट किय है और विश्वास दिलाये है कि मूल लेख्यकारी के खाने न0-5 में वर्णित सम्पति हर प्रकार के अधिकार संबंधी झंझट वो ऋण भार सरकारी यागैर सरकारी से पूर्णत: मुक्त वो पाक साफ है वो आज तक लेख्यकारी एवं मूल लेख्यकारी ने खाने न0-5 में वर्णित सम्पति को किसी अन्य के साथ किसी प्रकार का कोई हस्तांतरणनहीं किये है वो नही लखे है । वो अगर खेलाफ किसी प्रकार का अधिकार संबंधी झंझट वो ऋण भार सरकारी गैर सरकारी खाने न0-5 में वर्णित सम्पति में पाया जाय या लेख्यकारी एवं मूल कारी या उनके उत्तराधिकारीगण के हस्तक्षेप के फलस्वरूप खरीदार पक्ष या उनके ाधिकारीगण सम्पति के अंश या कुल भू-भाग से वदखली कर दिये जाये जिससे किसी के कोई क्षति खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारीगण को हो तो वैसी हालत में

Scanned by CamScanner

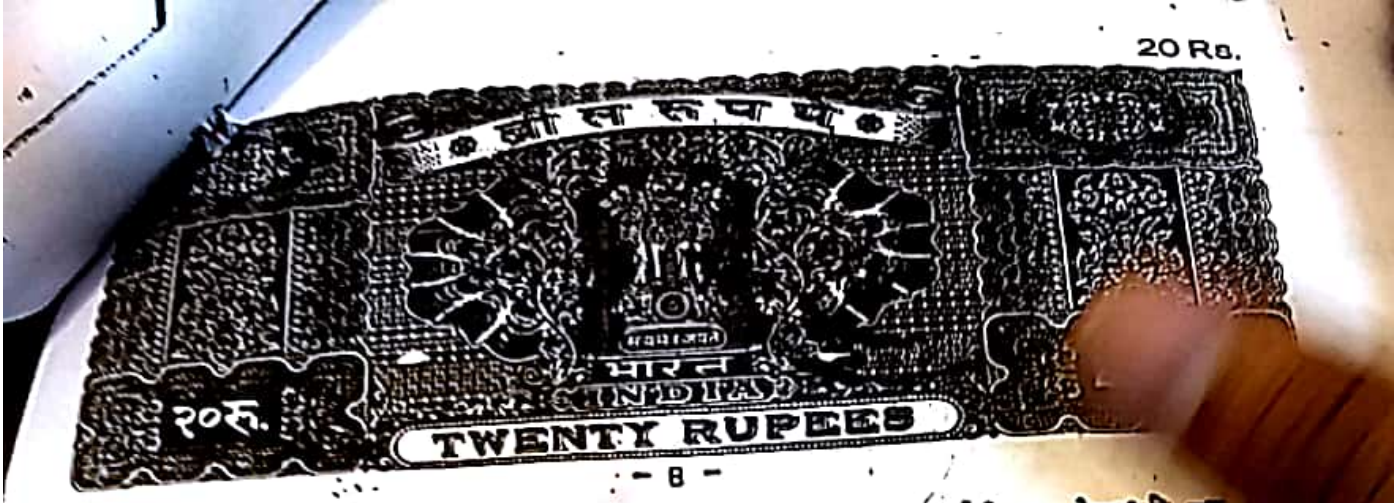

खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारीगण अपने शेष पूर्ति भेजकर बेदखली या

इस भार उनको अदाय करना पड़े उसे मय सूद पिसाद मा० ।/= एक रुपया माहवारी के

हिसाब से लेखकारी एवं मूल लेखकारी या उनके उत्तराधिकारीगण अन्यान्य चलाचल

सम्पति से कानूनी कारवाई करके वसूल वो वबाक कर लेवेंगें। उस वक्त लेखकारी मूल

लेखकारी पक्ष को किसी प्रकार का उजूर वो एतराज न है न कभी होगा ।

इस वास्ते यह बंधिका निर्विवाद बिक्रय- पत्र यानि बेचाला हमला

कलमी लिख दिया कि समय पर काम आवें वो प्रमाणरहें । ‖ समाप्त ‖

टंक

‖ विनेश कुमार सिन्हा ‖

सिविल कोर्ट दानापुर, पटना ।

प्रस्तुतकर्ता रवीन्द्र कुमार

Scanned by CamScanner

...ल पदाधिकारी का कार्यालय

भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र

...गेन्द्र कुमार ..... पिता/प्रति अच्चदानन्द प्रसाद .....

...मू कॉलनी ..... थाना ..... जिला गया .....

...ाम एवं थाना संख्या	तौजी संख्या	खाता संख्या	खसरा संख्या	एकवा एकड़	एकवा डि०
...लपुर ...22		5	214	2000 वर्गफीट	
	अं०	अ० दानपुर			

आवेदक के नाम से मेजा जलालपुर थाना नं० 22 के जमाबन्दी सं० 2061 खाता सं० 5 प्लॉट सं० 214 रकबा 2000 वर्गफीट जमीन की एसिड वर्ष 2010-11 तक निर्गत है। जमीन रैयती

कर्मचारी का प्रतिवेदन

Scanned by CamScanner

Sol. XIV—F. No. 180V.

रसीद मालगुजारी ।
नाम सर्कल । नाम मौजा मय
थाना वो थाना नम्बर ।

V

वि० ग० प्रेस, नया ।
फरद मालकी/फरद रैयती ।
नाम रैयत मय मस्तियत जमाकर्जी 2161
वो सकूनत । नम्बर ।

456403

[illegible]	[illegible]	[illegible]	

अराजी नगदी | अराजी भावली | तफसील हिसाब लगान भावली ।

2.00	[illegible]

पर्चाजात का सालाना मांग मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजूदा साल का ।

2010-11 मांग बाबत	सालाना	बकाया				हाल
		तीन वर्ष से ज्यादा ।	३रा वर्ष ।	२रा वर्ष ।	१ला वर्ष ।	
माल-गुजारी (नगदी)	1.00				8.00	1.00
माल-गुजारी (भावली)	0.25				2.00	0.25
सेस ...	0.50				4.00	0.50
*सूद ...	0.50				4.00	0.50
मुतफरकात ...	0.20				1.60	0.20
मीजान	2.45				19.60	2.45

तफसील अदायकारी ।

2010-11 अदायकारी बाबत ।	बकाया				मोतावल हाल ।	फाजिल
	तीन वर्ष से ज्यादा ।	३रा वर्ष ।	२रा वर्ष ।	१ला वर्ष ।		
माल-गुजारी (नकदी)				8.00	1.00	
माल-गुजारी (भावली)				2.00	0.25	
सेस ...				4.00	0.50	
*सूद ...				4.00	0.50	
मुतफरकात ...				1.60	0.20	
मीजान अदायकारी				19.60	2.45	22.05

(१) मीजान कुल (लफ्जों में)— [illegible]
(२) नाम देहिन्दा— [illegible]
(३) कुल बकाया— [illegible] वो तारीख अमला तहसील कुनिन्दा

*आज महाल का बकाया मालगुजारी पर सिवाय ऐसे हालों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो सूद नहीं लिया जाता है ।

[illegible]

गोपनीय प्रतिवेदन.

अंचल पदाधिकारी का कार्यालय

भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र

1142
2/12/15

म ..... सुधा सिन्हा ..... पिता / पति ..... स्व० नागेन्द्र कुमार

..... पी.सी. कॉलोनी एम 82 गया

..... रामपुर गया ..... जिला ..... गया

म का नाम एवं थाना संख्या	तौजी संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा एकड़	रकबा डि०
जलालपुर 22		5	214	2000 वर्गफीट	

अं० अ० दानापुर

आवेदिका के नाम से मौजा जलालपुर
थाना-22 खाता सं० 5 खेसरा सं० 214
रकबा 2000 वर्गफीट जमीन की सीड जमाबंदी
सं० 2661 पर कर रही है। रसीद पर्ची 201516
तक मिलती है जमीन रेशमी है। गैर आम
मालिक एवं जमीन नहीं है। मुद्रांक मूल्य दर्ज की
से मुक्त है।

का हस्ताक्षर

कर्मचारी का

Scanned by CamScanner

Sch. XIV.—F.No. 180 V.

एनीद मालगुजारी
नाम सर्कल। नाम मौजा मय
थाना वो थाना नम्बर

V

U.P. बिहारशरीफ, पटना
फसल मालगी / फसल पैदावी।
नाम पैमाइश मय तहसिलवार जमाबन्दी
वो खानगत। नम्बर।

X 103 2661 5 एकड़ 0687264 एकड़ 214

फतनपुरा	अगुनपुरा	सुरेश सिंह	

अराजी नम्बरी | अराजी मालगुजारी | तफसील हिसाब रकबाजात मालगी।

2000 | एक नाइंटी पैसा | एक नाइंटी पैसा 1-90 रुपया

तफसील मालगुजारी मांग मय तफसील बकाया वो हाल/मालगुजारी मांग मय तफसील बकाया

2015-16 मांग बाबत		सालाना	बकाया तीन वर्ष से ज्यादा।	3रा वर्ष।	2रा वर्ष।	1ला वर्ष।	हाल
माल- / गुजारी	(नकदी)	1.00					1.00
	(भावली)	0.25					0.25
सेस	...	0.50					0.50
*सूद	...	0.50					0.50
मुतफरकात	...	0.20					0.20
मीजान		2.45					2.45

तफसील अदायगारी।

2015-16 अदायगारी बाबत		बकाया तीन वर्ष से ज्यादा।	3रा वर्ष।	2रा वर्ष।	1ला वर्ष।	मोतालया हाल	फाजिल
माल- / गुजारी	(नकदी)					1.00	
	(भावली)					0.25	
सेस	...					0.50	
*सूद	...					0.50	
मुतफरकात	...					0.20	
मीजान अदायगारी						2.45	+ 2.45

(1) मीजान कुल (लफ्जों में) — दो रुपया पैंतालीस पैसा मात्र
(2) नाम देहिन्दा —
(3) कुल बकाया —

दस्खत वो तारीख अगला तहसील

* सूद मालगुजारी पर (सेवाय ऐसे बकायों पर जिन पर [illegible])

जारी ०:

30/11/17

Scanned by CamScanner

[illegible] १२—[illegible] सं० ६ ।

प्रकरण संख्या- 6

A

(विषय 5 देखिये)

276651

बिहार सरकार

सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय, बिहार

मृत्यु प्रमाण–पत्र

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम १९६९ की धारा १२/धारा १७ के अन्तर्गत निर्गत

प्रमाणित किया जाता है कि निम्न जानकारी मूल मृत्यु अभिलेख से प्राप्त की गई है,

जो बिहार राज्य के गया जिले के X

तहसील (अंचल/प्रखण्ड) के नगर निगम स्थानीय क्षेत्र सम्बन्धी रजिस्टर में है ।

नाम नागेन्द्र कुमार

लिंग पुरुष

मृत्यु की तारीख 31.08.04

मृत्यु का स्थान ए. पी. कोलोनी एम-82, गया

पिता/पति का नाम अच्युतानन्द प्रसाद

स्थायी पता ए. पी. कोलोनी एम-82, गया

रजिस्ट्रीकरण संख्या 1442

रजिस्ट्रीकरण की तारीख 03.09.04

निर्गत करने वाले प्राधिकारी का हस्ताक्षर

रजिस्ट्रार

जन्म एवं मृत्यु

तारीख

Scanned by CamScanner

[illegible] १२—[illegible] सं० ६ ।

प्रपत्र संख्या- 6

(विषय 5 देखिये)

A

276651

बिहार सरकार

सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय, बिहार

मृत्यु प्रमाण–पत्र

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम १९६९ की धारा १२/धारा १७ के अन्तर्गत निर्गत

प्रमाणित किया जाता है कि निम्न जानकारी मूल मृत्यु अभिलेख से प्राप्त की गई है,

जो बिहार राज्य के गया जिले के X

तहसील (अंचल/प्रखण्ड) के नगर निगम स्थानीय क्षेत्र सम्बन्धी रजिस्टर में है ।

नाम नागेन्द्र कुमार

लिंग पुरुष

मृत्यु की तारीख 31.08.04

मृत्यु का स्थान ए. पी. कोलोनी एम-82, गया

पिता/पति का नाम अच्युतानन्द प्रसाद

स्थायी पता ए. पी. कोलोनी एम-82, गया

रजिस्ट्रीकरण संख्या 1442

रजिस्ट्रीकरण की तारीख 03.09.04

निर्गत करने वाले प्राधिकारी का हस्ताक्षर

रजिस्ट्रार

जन्म एवं मृत्यु

मुहर

06/09/04

Metro Sky Construction Pvt. Ltd.

Directo

तारीख

बिहार गवर्नमेंट प्रेस, पटना । (ए० पी०)

Scanned by CamScanner

Sch. XIV.—F.No. 180 V.

रसीद मालगुजारी
नाम सर्कल। नाम मौजा मय
थाना वो थाना नम्बर

V

बि०स०मु०. पटना। X
फरद मालकी/फरद रैयती। 99
नाम रैयत मय वल्दियत जमाबन्दी।
वो सकुनत। नम्बर 00526469

2794 खाता 5 फोलिया 214

दानापुर	जलालपुर	डा० ओम प्रकाश

अराजी नगदी 22 अराजी भावली पिता श्री विशेश्वर ठाकुर तफसील हिसाब लगान भावली।

2000 वर्गफीट	श्रीमती कान्ती	कुमारी पाट डा० ओम प्रकाश

जोत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजूदा [illegible] नई गोदाम

2015-16 मांग बाबत	सालाना	तीन वर्ष से ज्यादा।	3रा वर्ष।	2रा वर्ष।	1ला वर्ष।	गया हाल
माल— (नकदी)	1.00				1.00	1.00
गुजारी (भावली)	0.25				0.25	0.25
सेस ...	0.50				0.50	0.50
*सुद ...	0.50				0.50	0.50
मुतफ... ...	0.20				0.20	0.20
मीजान	2.45				2.45	2.45

WITHOUT PREJUDICE

तफसील अदायकारी।

2015-16 अदायकारी बाबत	बकाया: तीन वर्ष से ज्यादा।	3रा वर्ष।	2रा वर्ष।	1ला वर्ष।	मोतालवा हाल	फाजिल
माल— (नकदी)				1.00	1.00	
गुजारी (भावली)				0.25	0.25	
सेस ...				0.50	0.50	
*सुद ...				0.50	0.50	
मुतफरकात ...				0.20	0.20	
मीजान अदायकारी				2.45	2.45	4.90

(1) मीजान कुल (लफ्जों में) — चार रुपया नब्बे पैसा मात्र
(2) नाम देहिन्दा —
(3) कुल बकाया —

दस्खत वो तारीख अमला तहसील कुनिन्दा

*खास महाल का बकाया मालगुजारी पर (सेवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।

बि.स.मु. (राजस्व) 1-2011

28/4/20

Scanned by CamScanner

Sch. XIV.—F.No. 180 V.

रसीद मालगुजारी
नाम सर्कल। नाम मौजा मय
थाना वो थाना नम्बर

V

बि०स०मु०, पटना। X
फरद मालकी/फरद रैयती। 99
नाम रैयत मय वल्दियत जमाबन्दी।
वो सकुनत। नम्बर 00526468

दामापुर	जलालपुर	श्री राकेश शंकर वर्मा

1219

अराजी नगदी 22 अराजी मावली जयेश शंकर तफसील हिसाब लगान मावली।

2000	पिता - उमा शंकर वर्मा

जोत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजूदा साल का।

2015-16 मांग बाबत	सालाना	बकाया तीन वर्ष से ज्यादा।	3रा वर्ष।	2रा वर्ष।	1ला वर्ष।	हाल
माल— (नकदी)	1.00				1.00	1.00
गुजारी (मावली)	0.25				0.25	0.25
सेस	0.50				0.50	0.50
*सुद	0.50				0.50	0.50
मुतफरकात	0.20				0.20	0.20
मीजान	2.45				2.45	2.45

तफसील अदायकारी।

2015-16 अदायकारी बाबत	बकाया तीन वर्ष से ज्यादा।	3रा वर्ष।	2रा वर्ष।	1ला वर्ष।	मोतालबा हाल	फाजिल
माल— (नकदी)				1.00	1.00	
गुजारी (मावली)				0.25	0.25	
सेस				0.50	0.50	
*सुद				0.50	0.50	
मुतफरकात				0.20	0.20	
मीजान अदायकारी				2.45	2.45	= 4.90

(1) मीजान कुल (लफ्जों में) — चार रुपया, नब्बे पैसा मात्र
(2) नाम देहिन्दा —
(3) कुल बकाया —

दस्खत वो तारीख अमला तहसील कुनिन्दा

*खास महाल का बकाया मालगुजारी पर (सेवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।

बि.स.मु. [illegible]

25/4/2015